

दी/

12-7-20

वकील इमरत उज्ज्वल मूल वास का
 निर्माण किया जा चुका है मूल वास के
 निर्माण करने में 24 मकरवा में किसी प्रकार
 की कार्यवाही शेष नहीं बचती है अतः
 पत्रावली में जारी आम्नाई निषेधा आदेश
 दिनांक 27-3-19 निरस्त किया जाता है
 पत्रावली दायरा नष्ट से काट दिया
 काद तकमिल जावेता दायरेका इमिलेवामा-

दी/

दी/

(उमर किंट वरु)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीगंगानगर